

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ।

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ0प्र0 सरकार की वितरण अनुज्ञापिधारियों यथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी द्वारा वर्ष 2023-24 का टू-अप, वर्ष 2024-25 का ए0पी0आर0 एवं वर्ष 2025-26 का सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव मा0 आयोग के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को प्रस्तुत किया गया था। मा0 आयोग द्वारा उक्त याचिकायें आदेश दिनांक 22.11.2025 द्वारा स्वीकार कर ली गयी।

मा0 आयोग ने उक्त याचिकाओं पर आदेश पारित कर वर्ष 2025-26 हेतु रेट शिड्यूल अनुमोदित कर दिया है। मा0 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित रेट शिड्यूल निम्नवत सूचित किये जाते हैं :-

उपभोक्ता श्रेणी		अनुमोदित दर वि0वा0 (2025-26)			
एल0एम0वी0-1	घरेलू बत्ती, पंखा	सब्सिडी रहित टैरिफ	सब्सिडी	क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
क-	ग्रामीण आपूर्ति				
(1)	लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक				
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह	—	—	रु0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु0 6.50 प्रति यूनिट	रु0 3.50 प्रति यूनिट	—	रु0 3.00 प्रति यूनिट

(2)	अन्य उपभोक्ता				
	मीटर सहित संयोजन				
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 90 प्रति कि0वा0 प्रति माह	—	—	रु0 90 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज:				
	प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.65 प्रति यूनिट	रु0 3.30 प्रति यूनिट	—	रु0 3.35 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.85 प्रति यूनिट	रु0 3.00 प्रति यूनिट	—	रु0 3.85 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.85 प्रति यूनिट	—	रु0 1.85 प्रति यूनिट	रु0 5.00 प्रति यूनिट
	300 यूनिट/माह से अधिक	रु0 6.85 प्रति यूनिट	—	रु0 1.35 प्रति यूनिट	रु0 5.50 प्रति यूनिट
ख-	सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड				
	फिक्स्ड चार्ज				रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज				रु0 7.00 प्रति यूनिट
ग-	अन्य मीटर सहित संयोजन				
(1)	लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रतिमाह तक				
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह	—	—	रु0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु0 6.50 प्रति यूनिट	रु0 3.50 प्रति यूनिट		रु0 3.00 प्रति यूनिट

(2)	अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए)				
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह		रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज				
	प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.85 प्रति यूनिट	—	रु0 1.35 प्रति यूनिट	रु0 5.50 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.85 प्रति यूनिट	—	रु0 1.35 प्रति यूनिट	रु0 5.50 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.85 प्रति यूनिट	—	रु0 0.85 प्रति यूनिट	रु0 6.00 प्रति यूनिट
	300 यूनिट/माह से अधिक	रु0 6.85 प्रति यूनिट	—	रु0 0.35 प्रति यूनिट	रु0 6.50 प्रति यूनिट
एल0एम0वी0—2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा				
			देय टैरिफ		
क—	ग्रामीण आपूर्ति				
	फिक्स्ड चार्ज		रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह		
	इनर्जी चार्ज		रु0 5.50 प्रति यूनिट		
ख—	अन्य उपभोक्ता				
	फिक्स्ड चार्ज				
	4 कि0वा0 तक		रु0 330 प्रति कि0वा0 प्रति माह		
	4 कि0वा0 से अधिक		रु0 450 प्रति कि0वा0 प्रति माह		
	इनर्जी चार्ज				
	4 कि0वा0 तक				
	300 यूनिट/माह तक		रु0 7.50 प्रति यूनिट		
	300 यूनिट/माह से अधिक		रु0 8.40 प्रति यूनिट		
	4 कि0वा0 से अधिक				
	1000 यूनिट/माह तक		रु0 7.50 प्रति यूनिट		
	1000 यूनिट/माह से अधिक		रु0 8.75 प्रति यूनिट		
	न्यूनतम चार्ज	रु0 600 प्रति कि0वा0 प्रति माह (अप्रैल से सितम्बर) तथा रु0 475 प्रति कि0वा0 प्रति माह (अक्टूबर से मार्च)			
एल0एम0वी0—3	सार्वजनिक प्रकाश				
(क)	मीटर रहित संयोजन				
	ग्राम पंचायत	रु0 2100 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह			
	नगर पालिका एवं नगर पंचायत	रु0 3200 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह			
	नगर निगम	रु0 4200 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह			
(ख)	मीटर सहित संयोजन				
	फिक्स्ड चार्ज				
	ग्राम पंचायत	रु0 200 प्रति कि0वा0 प्रति माह			
	नगर पालिका एवं नगर पंचायत	रु0 250 प्रति कि0वा0 प्रति माह			
	नगर निगम	रु0 250 प्रति कि0वा0 प्रति माह			
	इनर्जी चार्ज				
	ग्राम पंचायत	रु0 7.50 प्रति यूनिट			
	नगर पालिका एवं नगर पंचायत	रु0 8.00 प्रति यूनिट			
	नगर निगम	रु0 8.50 प्रति यूनिट			

एल0एम0वी0-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ				
(क)	सार्वजनिक संस्थाएँ				
	फिक्स्ड चार्ज		रु0 300 प्रति कि0वा0प्रति माह		
	इनर्जी चार्ज		रु0 8.25 प्रति यूनिट		
(ख)	निजी संस्थाएँ				
	फिक्स्ड चार्ज		रु0 350 प्रति कि0वा0प्रति माह		
	इनर्जी चार्ज		रु0 9.00 प्रति यूनिट		
एल0एम0वी0-5	निजी नलकूप				
	सब्सिडी रहित टैरिफ	सब्सिडी	क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ	
क-	ग्रामीण आपूर्ति				
(i)	मीटर रहित संयोजन				
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 875 प्रति बी0 एच0पी0 प्रति माह	रु0 705 प्रति बी0 एच0 पी0 प्रति माह	-	रु0 170 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
(ii)	मीटर सहित संयोजन				
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 775 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रु0 705 प्रति बी0 एच0 पी0 प्रति माह	-	रु0 70 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.50 प्रति यूनिट	-	रु0 4.50 प्रति यूनिट	रु0 2.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु0 865 प्रति बी0 एच0पी0 प्रति माह	रु0 705 प्रति बी0 एच0 पी0 प्रति माह	-	रु0 160 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
(iii)	इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प				
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 775 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रु0 705 प्रति बी0 एच0 पी0 प्रति माह	-	रु0 70 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.50 प्रति यूनिट	-	रु0 4.85 प्रति यूनिट	रु0 1.65 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु0 845 प्रति बी0 एच0पी0 प्रति माह	रु0 705 प्रति बी0 एच0 पी0 प्रति माह	-	रु0 140 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
ख-	शहरी आपूर्ति				
(i)	मीटर सहित संयोजन		क्रॉस सब्सिडी		देय टैरिफ
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 130 प्रति बी0 एच0पी0 प्रति माह	-	-	रु0 130 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.50 प्रति यूनिट	-	रु0 0.50 प्रति यूनिट	रु0 6.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु0 215 प्रति बी0 एच0पी0 प्रति माह	-	-	रु0 215 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह

	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसभा में स्थित निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नहीं हो जाता है, न्यूनतम राशि रु0 170/बीएचपी/माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।	
एल0एम0वी0-6	लघु एवं मध्यम उद्योग	
क-	शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 290 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 7.30 प्रति यूनिट
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 10:00 बजे तक	(-) 15%
	10:00 से 19:00 बजे तक	0
	19:00 से 03:00 बजे तक	(+) 15%
	03:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
ख-	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	
	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी0 रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।	
एल0एम0वी0-7	जलकल	
क-	शहरी आपूर्ति	
	मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 375 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.50 प्रति यूनिट
ख-	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	
	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।	
एल0एम0वी0-8	राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	इन सभी उपभोक्ताओं हेतु एल0एम0वी0-7 दर सूची लागू होगी।	
एल0एम0वी0-9	अस्थायी संयोजन	
	मीटर रहित संयोजन	
क-	(1) सार्वजनिक प्रकाश, उद्घोषणा एवं समारोह (भार 20 कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं रु0 100/कि0वा0/दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि0वा0 भार के लिए)	रु0 4750 प्रति दिन
	(2) फिक्स्ड चार्ज: मेलों/त्योहारों में अस्थायी दुकान (2 कि.वा. भार तक)	रु0 560 प्रति दिन प्रति दुकान
	(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रबी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी तक)	रु0 500 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
ख-	मीटर सहित संयोजन	
	(1) व्यक्तिगत आवासीय उपभोक्ता हेतु	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 200 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

	(2) अन्य	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 300 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 9.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	न्यूनतम चार्ज	रु0 450 प्रति कि0वा0/सप्ताह
एल0एम0वी0-11	इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग	
1.	उपभोक्ता श्रेणी (एल0एम0वी0-1, 2, 4, 6, 9 तथा एच0वी0-1, 2 एवं 3)	
	इन दर श्रेणी के सभी मीटर्ड उपभोक्ता अपने संयोजन का उपयोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकते हैं, यदि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हेतु अनुबन्धित से ज्यादा भार की आवश्यकता है तो उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भार बढ़ाने हेतु आवेदन कर सकता है।	
2.	बहुमंजिला इमारतों में कामन उपयोग के लिये (सिंगल प्वाइंट/मल्टी प्वाइंट)	
	बहुमंजिला इमारतों (एल0 टी0)	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 6.20 प्रति यूनिट
	बहुमंजिला इमारतों (एच0 टी0)	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 5.90 प्रति यूनिट
3.	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन तथा राज्य सड़क परिवहन ई0वी0 चार्जिंग स्टेशन	
	ई0वी0 चार्जिंग स्टेशन (एल0 टी0)	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 7.70 प्रति यूनिट।
	ई0वी0 चार्जिंग स्टेशन (एच0 टी0)	डिमाण्ड चार्ज-शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 7.30 प्रति यूनिट।
	अनुबंधित भार से अधिक होने पर जुर्माना: अतिरिक्त भार हेतु, एल0टी0 के लिए 150.00 रुपये/के0वी0ए0/ माह और एच0टी0 के लिए 250.00 रुपये/के0वी0ए0/माह का चार्ज किया जाएगा तथा जनरल प्रोविजन का प्रस्तर- 7(ii)(बी) यहाँ लागू नहीं होगा।	
एच0वी0-1	गैर औद्योगिक बल्क लोड	
(क)	वाणिज्यिक भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 430 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 8.32 प्रति के.वी.ए.एच
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 400 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 8.12 प्रति के.वी.ए.एच
(ख)	सार्वजनिक संस्थान, पंजीकृत सोसाईटी, आवासीय कालोनी/टाउनशीप, आवासीय मल्टीस्टोरिड बिल्डिंग (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 380 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 7.70 प्रति के.वी.ए.एच
	फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 360 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 7.50 प्रति के.वी.ए.एच
एच0वी0-2	बड़े एवं भारी उद्योग	
क-	शहरी आपूर्ति	
1.	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति तक	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 7.10 प्रति के.वी.ए.एच.
2.	11 के.वी. से अधिक एवं 66 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 290 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.80 प्रति के.वी.ए.एच.
3.	66 के.वी. से अधिक एवं 132 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.40 प्रति के.वी.ए.एच.

4.	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.10 प्रति के.वी.ए.एच.
	टाईम ऑफ द डे	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 10:00 बजे तक	(-) 15%
	10:00 से 19:00 बजे तक	0
	19:00 से 03:00 बजे तक	(+) 15%
	03:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
ख—	ग्रामीण आपूर्ति	
	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के0वी0 तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू बेस रेट पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।	
एच0वी0—3	रेलवे ट्रेक्शन एवं मेट्रो रेल	
(क)	रेलवे ट्रेक्शन :	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 400 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	न्यूनतम चार्ज	रु0 950 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
(ख)	मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तथा रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम :	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 7.30 प्रति के.वी.ए.एच
	न्यूनतम चार्ज	रु0 900 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	यदि अधिकतम माँग अनुबन्धित भार से अधिक होगी तो अतिरिक्त माँग पर रुपये 540.00 प्रति के.वी.ए. प्रति माह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।	
एच0वी0—4	लिफ्ट इरीगेशन	
(क)	डिमाण्ड चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 350 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु0 340 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु0 330 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
(ख)	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु0 8.40 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु0 8.25 प्रति के.वी.ए.एच
(ग)	न्यूनतम चार्ज	
		रु0 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह

मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उक्त दरें एवं चार्जेज इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद से उ0प्र0 सरकार की सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों में स्वतः लागू हो जाएंगी। उपरोक्त अनुमोदित दरें एवं चार्जेज समस्त वितरण निगमों की वेबसाइट (www.puvvn1.up.nic.in, www.mvvn1.in, www.dvvn1.org, www.pvvn1.org, www.kesco.co.in) तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट (www.uppcl.org) पर उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष

पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केंस्को

‘राष्ट्रहित में बिजली बचायें’